न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 53/2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री ओमप्रकाश पिता श्री चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती लाड कुंवर पिता श्री चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती बिन्दू पिता श्री चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री देवेन्द्र कुमार पिता श्री अश्विनी जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री मुकेश पिता श्री अशिवनी जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
6. सोनल पुत्री श्री अश्विनी जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. मृतक श्री चम्पालाल पिता श्री कजोड़ीमल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द का **(नाम तर्क किया गया)**
2. श्री अश्विनी पिता श्री चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री सत्यनारायण पिता श्री चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री उत्तम कावडिया पिता स्व. श्री भंवरलाल जी कावडिया जैन निवासी सदर बाजार राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री अविलेष कावडिया पिता स्व. श्री भंवरलाल जी कावडिया जैन निवासी सदर बाजार राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री तनसुखलाल बोहरा पिता स्व. श्री भेरूलाल जी बोहरा जैन निवासी अर्हम पैलेस, सूरजपोल केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

7. श्री नरेन्द्र कुमार बोहरा पिता स्व. श्री भेरूलाल जी बोहरा जैन निवासी अर्हम पैलेस, सूरजपोल केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री भिक्षु संबोधी विहार केलवा जरिये रोशनलाल पिता श्री मोतीलाल जी सांखला निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्री रोशनलाल पिता श्री मोतीलाल जी सांखला निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
राजसमन्द दिनांक 08–07–2016 प्रकरण संख्या
151/2015 वाद

———

उपस्थित :–1–श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 9
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10

———/———

निर्णय **दिनांक 16–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार है तथा वे एक ही परिवार के सदस्य है (वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3)। ग्राम केलवा में स्थिति आराजी संख्या 5134/568 रकबा 13 बीघा भूमि जिसके साबिक आराजी नंबर 111 है। यह भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या–1 चम्पालाल के नाम दर्ज थी, जो उन्हें कजोड़ीमल (पिता) से प्राप्त हुई थी। कजोड़ीमल जी वादीगणों के दादा/परदादा है। भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की मोरूषी भूमियां है। जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 का केवल 1/6 हिस्सा है, वादी संख्या–1 से 3 प्रत्येक का 1/6, वादी संख्या–4 से 6 प्रत्येक का

1/24 तथा प्रतिवादी संख्या–2 का 1/24 तथा प्रतिवादी संख्या–3 का 1/6 हिस्सा है। भूमियां मोरूसी होने से प्रतिवादी को अकेले उक्त भूमि विक्रय का अधिकार नहीं था, फिर भी प्रतिवादी संख्या–1 ने वादीगण के बिना जानकारी उक्त भूमि विक्रय कर दी, जो विक्रय–दर–विक्रय होकर अभी प्रतिवादी संख्या–4 से 9 के नाम दर्ज है। उक्त समस्त विक्रय अवैध है। वादीगणों के पक्ष में उपरोक्त विवेचनानुसार खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–4 से 7 की और से आदेश–7, नियम–11, जाब्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया कि भूमि स्वीकृत रूप से प्रतिवादी संख्या–4 से 7 को विक्रय हुई है तथा उनके मध्य उक्त भूमि का विभाजन होकर भूमियां रूपान्तरित की जा चुकी है। भूमियां कृषि नहीं होकर अकृषि है तथा विक्रयपत्र निरस्ती का अधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतएव वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाय।

प्रकरण में पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 8–7–2016 को पेश हुई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का उक्त आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–10–2016 को पेश की। नकल दिये जाने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील अन्दर मयाद मानी जाकर, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 से 9 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का नाम तर्क किये जाने का आदेश 15–11–2017 को पारित किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2, 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार होने राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दिनांक 8–12–2017 को वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदेश–41, नियम–27 का आवेदन पेश कर सिविल न्यायालय राजसमन्द के प्रकरण संख्या 85/2015 की आदेशिकाऐं जो कि अस्थाई निषेघाज्ञा तथा विक्रय पत्र निरस्ती के वाद से संबंधित है, इनकी विषयवस्तु भी समान है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपर जिला न्यायाधीश महोदय के यहां सरस्वती बाई द्वारा पेश शुदा वाद घोषणा व निषेधाज्ञा के वाद की भी प्रति पेश की है। उभयपक्ष को उक्त

आवेदन पर सुना तथा सरस्वती बाई के वाद की प्रासंगिकता नहीं होने से तथा अन्य पत्रादि के प्रासंगिक व सद्भावी होने से उन्हें रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा देकर आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सभी भूमि को रूपान्तरित मानते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से वाद खारिज किया है, जबकि कुछ आराजीयात कृषि आराजीयात भी है, जिनके लिए न्यायालय का क्षैत्राधिकार था।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में विवादित आराजीयात का विक्रय होना स्वीकृत स्थिति है तथा उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करवाये जाने के लिए सिविल न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा वाद दायर कर रखा है। जब सिविल न्यायालय की क्षैत्राधिकारित अपीलान्ट स्वयं द्वारा मान ली गई है, तो इस प्रकार की वाद बहुलता राजस्व न्यायालय में भी वाद जारी रखे जाने अथवा पेश किये जाने को निरर्थक एवं अविधिक माना जाना चाहिए। प्रकरण मं भूमियों का रूपान्तररित होकर अकृषि होना भी प्रमाणिक है। अपीलान्ट यह नहीं बताते कि कोनसी भूमियां अरूपान्तरित है ? तद्नुसार रूपान्तरित भूमि के तथ्यों को वादी अपीलान्ट द्वारा छुपाया गया है तथा यदि आंशिक भूमियां कृषि की है, तो भी विक्रय पत्रों के निरस्ती का वाद सिविल न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा पेश कर दिये जाने तथा संयुक्त क्षैत्राधिकार होने पर सिविल न्यायालय की ही क्षैत्राधिकरिता निर्णयों की पृथकता एवं आवश्यक सम्भावित विरोधाभाष के दृष्टिगत सिविल न्यायालय की ही क्षैत्राधिकारिता माना जाना पूर्णतया उपयुक्त है। अपीलान्ट वादी द्वारा तथ्यों का छिपाना, सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार मान लिए जाने, भूमियों

के अकृषि होने के कारण तथा आंशिक यदि अकृषि हो तो भी सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार माना जाना उपयुक्त है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार विहिन प्रकरण को खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–7–2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री ओमप्रकाश पिता चम्पालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–5

बनाम

1– श्री चम्पालाल पिता कजोड़ीमल जी ब्राह्मण (नाम तर्क किया)
2– श्री अश्विनी पिता चंपालाल जी ब्राह्मण निवासी केलवा तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य–8 व सरकार

अपील नं0 **53/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **राजसमन्द.....** मुकाम मुक्र्खे.....**08**.....माह.....**07**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**01**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री श्यामसुन्दर पालीवाल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मुकेश तलेसरा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–7–2016 को यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।